

प्रोजेक्ट टाइगर

प्रलम्ब के लिये:

[प्रोजेक्ट टाइगर](#), [टाइगर रजिस्टर](#), पग-मार्क वधि, बाघ गणना, कैमरा-ट्रैप वधि, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, महत्त्वपूर्ण बाघ आवास (CTH), [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(NTCA\)](#), [टाइगर टास्क फोर्स](#), [अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधिनियम, 2006](#)

मेन्स के लिये:

प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघों की संख्या के संरक्षण में इसका योगदान।

[स्रोत: द हिंदू](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में टाइगर रजिस्टर (55) की स्थापना तथा महत्त्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण कानूनों को कार्यान्वित कर समय के साथ बाघ संरक्षण पहल में विकास किया गया है।

- हालाँकि [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधिनियम, 1972](#) तथा [वन अधिकार अधिनियम, 2006](#) के उल्लंघन के कारण वन प्रशासन तथा वनवासियों के बीच टाइगर रजिस्टर में संघर्ष की स्थिति बिड़ गई है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दो प्रमुख कार्यक्रमों [प्रोजेक्ट टाइगर \(PT\)](#) एवं [प्रोजेक्ट एलीफेंट](#) को [प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट \(Project Tiger and Elephant- PTE\)](#) के रूप में एकीकृत करने की घोषणा की।

बाघ संरक्षण में कौन-सी कमियाँ हैं?

- [वन्यजीव संरक्षण \(संशोधन\) अधिनियम, 2006](#) के तहत विकास परियोजनाओं के लिये "बाघ के वन" के डायवर्ज़न पर रोक नहीं लगाई गई तथा यद्विन्यजीवों से मानव जीवन को खतरा होता है तो उन्हें अंतिम उपाय के रूप में मारने की अनुमति दी जाती है।
- सरकार ने वर्ष 2009 में FRA नियमों को अधिसूचित करने तथा अधिनियम को क्रियाविधि करने की योजना बनाई।
 - कति नवंबर 2007 में [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(National Tiger Conservation Authority- NTCA\)](#) ने एक आदेश पारित किया जिसमें मुख्य वन्यजीव वार्डनों को 800-1,000 वर्ग कमी. के क्षेत्र वाले [क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट्स \(CTH\)](#) को अंकित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये 13 दिनों का समय दिया गया।
 - परिणामस्वरूप सरकार ने WLPA की धारा 38 (V) के प्रावधानों का अनुपालन किये बिना 12 राज्यों में 26 टाइगर रजिस्टर को संबद्ध अधिसूचना जारी की।
- समिलिपिल, ओडिशा में टाइगर रजिस्टर, [क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट्स](#) में बफर क्षेत्र का अभाव था।
 - 2012 में ही उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के एक नरिदेश के बाद शामिल किया गया था, जिसने [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(NTCA\)](#) को तीन महीने का अल्टीमेटम दिया था।
- टाइगर टास्क फोर्स ने पाया कि बंदूकें, गार्ड और बाड़ का उपयोग करने का दृष्टिकोण बाघों की रक्षा नहीं कर रहा था, और वन/वन्यजीव नौकरशाही और बाघों के साथ सह-अस्तित्व रखने वालों के बीच बढ़ता संघर्ष आपदा का एक प्रकार था।

बाघ संरक्षण के लिये पहल:

प्रोजेक्ट टाइगर:

- परचिय:
 - प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक [वन्यजीव संरक्षण पहल](#) है जसै वर्ष 1973 में शुरू किया गया था।

- प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समरपति टाइगर रज़िर्व बनाकर बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करना है।
- **9,115 वर्ग कमी** में फैले केवल **नौ अभयारण्यों** से शुरू होकर, इस परियोजना ने वन्यजीव संरक्षण पर्यासों में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया है।
- **बाघ गणना की वधि:**
 - वर्ष 1972 में पहली बाघ जनगणना की अवशिष्टनीय पग-चिह्न वधिने कैमरा-ट्रैप वधि जैसी अधिक सटीक तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया।
- **बाघों की जनसंख्या में वृद्धि:**
 - **1972 में पहली बाघ जनगणना** में **1,827** बाघों की गिनती के लिये अवशिष्टनीय पग-चिह्न पद्धति का उपयोग किया गया था।
 - **2022 तक**, बाघों की आबादी **3,167-3,925** होने का अनुमान है, जो **प्रतिवर्ष 6.1% की वृद्धि दर** को दर्शाता है।
 - अब भारत विश्व के **तीन-चौथाई बाघों का घर** है।
- **टाइगर रज़िर्व:**
 - 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर **9,115 वर्ग कमी.** में फैले **नौ अभयारण्यों** के साथ शुरू हुआ। **2018 तक** यह विभिन्न राज्यों में **55 रज़िर्व** तक बढ़ गया था, जो कुल **78,135.956 वर्ग कमी** या भारत के भूमिक्षेत्र का **2.38%** था।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:

- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वन्य जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों के प्रबंधन, वन्य जीवों, पादपों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (Wildlife (Protection) Act- WLPA), 1972** में बाघ संरक्षण के लिये आधार तैयार किया गया। इसने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की, राज्य सरकारों के पक्ष में अधिकारों को अलग किया तथा क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट्स (**Critical Tiger Habitat- CTH**) की अवधारणा को पेश किया।
- वर्ष 2006 में **WLPA** में संशोधन से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (**National Tiger Conservation Authority- NTCA**) और एक व्यापक बाघ संरक्षण योजना का निर्माण हुआ।
- इसने **बाघ संरक्षण, वन संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भलाई के बीच अवभाज्य संबंध** को स्वीकार करते हुए, पूर्व के **कैप्टिव संरक्षण दृष्टिकोण** से बदलाव को चिह्नित किया।

टाइगर टास्क फोर्स:

- वर्ष 2005 में बाघ संरक्षण के बारे में चर्चाओं से प्रेरित टाइगर टास्क फोर्स के गठन ने पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया। टास्क फोर्स ने मौजूदा रणनीति में कमियों को उजागर किया जो **हथियारों, वनरक्षकों एवं बाढ़ों** पर बहुत अधिक निर्भर थी।

बाघ

रॉयल बंगाल टाइगर (*Panthera Tigris*) भारत का राष्ट्रीय पशु है।

बाघ की उप प्रजातियाँ

- * महाद्वीपीय (पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस)
- * सुंडा (पैंथेरा टाइग्रिस सोन्डाइका)

प्राकृतिक अधिवास

उष्णकटिबंधीय वर्षावन,
सदाबहार वन,
समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव
दलदल, घास के
मैदान और सवाना

देश जहाँ बाघ पाए जाते हैं

- 13 बाघ रेंज देश जहाँ यह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें- भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं।
- IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
- CITES: परिशिष्ट-I
- WPA 1972: अनुसूची-I

संरक्षण संबंधी प्रयास

- इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA): बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा नामक सात बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिये (भारत द्वारा शुरू)
- Tx2 अभियान: WWF द्वारा आरंभ किया गया; 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष्य को इंगित करते हुए 'टाइगर टाइम्स 2' को संदर्भित करता था
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): WPA, 1972 के तहत गठित
- प्रोजेक्ट टाइगर: 1973 में लॉन्च किया गया
- बाघों की गणना: प्रत्येक 5 वर्ष में

खतरे

- आवास विखंडन
- अवैध शिकार
- मानव-वन्यजीव संघर्ष

भारत में बाघ

- भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है
 - वर्ष 2022 तक, भारत में बाघों की संख्या 3167 थी
 - मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई गई है
- टाइगर रिजर्व: भारत में अब 53 टाइगर रिजर्व हैं
 - नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है
 - नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश) सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जबकि ओरंग (असम) सबसे छोटा (कोर क्षेत्र) है।



वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 क्या है?

- अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** के अधिनियमन ने समुदायों में प्रथागत एवं पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता दी।
- इसने **ग्राम सभाओं** को अपनी सीमाओं के भीतर वन संसाधनों और जैवविविधता का लोकतांत्रिक ढंग से प्रबंधन करने का अधिकार दिया।
- महत्त्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास (Critical Wildlife Habitat- CWH):**
 - वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act- FRA) ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA) के तहत **क्रटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH)** की भाँति एक 'क्रटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट' (CWH) की शुरुआत की।
 - हालाँकि एक महत्त्वपूर्ण अंतर यह था कि एक बार CWH अधिसूचित हो जाने के बाद, इसे गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता था। बातचीत के दौरान आदिवासी आंदोलनों द्वारा इस विशेष खंड पर जोर दिया गया था।
 - क्रटिकल टाइगर हैबिटेट्स (CTH)** 42,913.37 वर्ग किमी. या **राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों** के अंतर्गत 26% क्षेत्र को कवर करता है।
- ग्राम सभाओं** को अपनी पारंपरिक सीमाओं के भीतर **जंगल, वन्य जीवन और जैवविविधता की सुरक्षा, संरक्षण एवं नगरानी** करने का अधिकार दिया गया था।

नषिकरषः

वरष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर वरष 2006 के संशोधनों द्वारा NTCA के नरिमाण तक की यात्रा बाघ संरक्षण और टकिऊ सह-अस्ततिव के प्रतर्ति भारत की प्रतबिद्धता को दर्शाती है। सामुदायिक सशक्तीकरण का एकीकरण, वन अधिकारों की मान्यता और वन्यजीव संरक्षण के लयि एक सूक्ष्म दृष्टिकोण वन्यजीव संरक्षण में एक समग्र प्रतमान प्रदर्शति करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न 1. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचति जनजाति और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनश्चिति करने के लयि कौन-सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? (2021)

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (d)

प्रश्न 2. नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजयि: (2018)

1. "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" की परभाषा वन अधिकार अधनियम, 2006 में समावष्टि है।
2. भारत में पहली बार बैगा (जनजाति) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।
3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लयि पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से नरिणय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)